

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,
धनौली टि. ग.

विषय - राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रिंगालगढ़ से दड़क
मोटर मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत वनभूमि के सौंपेक्ष
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि के सम्बन्ध में,

महोदय,

निवेदन है कि शासन द्वारा रिंगालगढ़ मोटर मार्ग से
दड़क मोटर मार्ग स्वीकृत है जिसके निर्माण कार्य से 2.295
हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसके एवज में
5 हेक्टेयर भूमि की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यकता है,

महोदय,

ग्राम पंचायत रिंगालगढ़- दड़क के अन्तराल
सिविल भूमि उपलब्ध है, जिसे वन विभाग को हस्तान्तरण
करने में गाँववासियों को कोई आपत्ति नहीं है, हम समस्त
ग्रामवासी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि देने को
सहमत हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंच. रिंगालगढ़ के
अन्तर्गत उपलब्ध 5 हे. सिविल भूमि वन विभाग को
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने की कृपा करें

राजस्व उपनिरीक्षक का भुमि का
नकशा जलसं. सलाह दे



भवदीय

ग्राम पंचायत रिंगालगढ़-